2006:CGHC:7337:DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू
माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा,

दा०अ०क्र० 1626/1994

अमर साई ..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य … … .. प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती किरण जैन, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री जी के बेरीवाल, उपमहाधिवक्ता
और श्री अलोक बक्शी, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(03–01–2006 को पारित)

मौखिक निर्णय

दाण्डिक अपील क्र.1626/1994, जो अभियुक्त अमर साई द्वारा मृतक बालमुकुंद की हत्या से उद्भूत सत्र प्रकरण क्र. 49/93 के विरुद्ध दायर की गई है उसी अभियुक्त द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्र.710/2005, जो मृतक रतन की हत्या से उद्भूत सत्र प्रकरण क्र.47/93 के विरुद्ध है एवं दाण्डिक अपील क्र.729/2005, जो मृतक फूलबासो बाई की हत्या से उद्भूत सत्र प्रकरण क्र.48/93 के विरुद्ध है ये सभी अपीलें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है क्योंकि इन तीनों प्रकरणों में साक्ष्य समान हैं। बालमुकुंद, फूलबासो बाई एवं रतन, इन तीनों की हत्या एक ही समय, एक ही स्थान पर, मृतक बालमुकुंद के निवास स्थान पर घटित हुई, अभियुक्त/अपीलकर्ता अमर साई द्वारा कारित किया गया बताई गयी है|

इन अपीलों के माध्यम से, अभियुक्त/अपीलकर्ता अमर साई ने द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा पारित दंडादेश एवं दोषसिद्धि को चुनौती दी है| सत्र प्रकरण क्र.49/93 में, बालमुकुंद की हत्या के संबंध में

दिनांक 24–09–1994 को पारित आदेश; सत्र प्रकरण क्र.47/93 में, रतन की हत्या के संबंध में दिनांक 29–09–1994 को पारित आदेश; सत्र प्रकरण क्र.48/93 में, फूलबासो बाई की हत्या के संबंध में दिनांक 28–09–1994 को पारित आदेश; उक्त सभी मामलों में विद्वत अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध कर प्रत्येक सत्र प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला:, दिनांक 20 जनवरी, 1992 को, सूधु दास ने थाना बतौली में एक मर्ग सूचना दर्ज कराई कि कोटवार, बोखाराम द्वारा यह सूचना दी गई कि एक व्यक्ति बालमुकुंद के आंगन में मृत पड़ा है। सूधु दास जब बालमुकुंद के घर पहुँचा, तो उसने आंगन में रतन कोरवा को मृत पाया और ऊपर जाकर देखा कि फूलबासो बाई तथा बालमुकुंद के भी शव पड़े थे। सभी के पार्श्व क्षेत्र, भौंहों और चेहरे पर चोट के निशान थे, जो चोट किसी नुकीले हथियार से लगने प्रतीत हो रहे थे।

थाना प्रभारी ने मर्ग क्रमांक (प्र. पी.1) दर्ज किया और अन्वेषण प्रारंभ की। घटनास्थल के लिए रवाना हुए, जहाँ पर पहुँचकर उन्होंने: मृतक बालमुकुंद का पंचनामा (प्र. पी.2), मृतक रतन का पंचनामा (प्र. पी.2) मृतक फूलबासो बाई का पंचनामा (प्र.पी.2) तैयार किया। पंचों की उपस्थिति में उन्होंने घटनास्थल से रक्तरंजित रजाई, सादा मिट्टी तथा रक्तरंजित मिट्टी जब्त की। बालमुकुंद, फुलबासो बाई, रतन के शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए प्राथमिक स्वस्थ केंद्र, बतौली को अनुरोध पत्र भेजा गया। डॉ. विजय कुमार मिश्र (पी.डब्ल्यू–6) ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट तैयार की। विवेचना के दौरान, अमर साय ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के छिपाए स्थान की जानकारी दी। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त से कुल्हाड़ी की बरामदगी कराई गई। बरामद वस्तुओं (कुल्हाड़ी, धोती, बनियान, रजाई, रक्तरंजित मिट्टी) को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया जहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि सभी वस्तुएं रक्त से सनी थीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवेचना पूरी होने के पश्चात् प्रत्येक हत्या के लिए अलग–अलग आरोप पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने प्रकरणों को सेशन न्यायाधीश अंबिकापुर को प्रेषित किया, जहाँ से द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश ने उन्हें विचारण हेतु ग्रहण किया।

अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्ध करने के लिए प्रत्येक मामले में 16 गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा धारा 313 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अभियुक्त का कथन भी दर्ज किया, जिसमें उसने या तो स्वयं को निर्दोष बताया या साक्ष्यों से इंकार किया तथा कहा कि अभियोजन साक्ष्य झूठे हैं और उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।

माननीय अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्क सुनने के पश्चात, अभियुक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक सत्र प्रकरण जैसा कि निर्णय के पैरा 2 में उल्लिखित है, में दंडित किया गया।

इन तीनों अपीलों में हमने श्रीमती किरण जैन, अभियुक्त/अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता तथा श्री जी.के. बेरीवाल, उप महाधिवक्ता एवं श्री आलोक बक्शी, शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुने।

श्रीमती किरण जैन, अभियुक्त/अपीलकर्ता की अधिवक्ता, ने यह विवाद नहीं किया कि बालमुकुंद, फूलबासो बाई एवं रतन की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। डॉ. वी.के. मिश्रा (पी. डब्ल्यू.6) द्वारा तीनों मृतकों के मरणोपरांत परीक्षण (पोस्टमार्टम) के साक्ष्य से, तथा सुधु दास, देवकरण एवं बोखाराम के कथनों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि इन तीनों की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी ।

जहाँ तक अभियुक्त/अपीलकर्ता अमर साई की इन हत्याओं में संलिप्तता की बात है, विद्वत अधिवक्ता का तर्क है कि संपूर्ण मामला केवल परिथितियों के साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन द्वारा जिन तीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, वे हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. मृतक व्यक्तियों को मृत्यु से पूर्व अभियुक्त के साथ अंतिम बार जीवित देखा जाना,
2. अपराध के पश्चात अभियुक्त का बालमुकुंद के घर से फरार होना,
3. हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, जो रक्तरंजित थी, की बरामदगी अभियुक्त की सूचना पर होना।

परंतु विद्वत अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन इन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को इन हत्याओं से जोड़ने में असफल रहा है, क्योंकि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियोजन के किसी गवाह ने अभियुक्त को मृतकों के साथ डेरांग के घर से बालमुकुंद के घर आते हुए देखा हो। अभियोजन के किसी गवाह ने अभियुक्त को बालमुकुंद के घर उस रात देखा हो जहाँ शव बरामद हुए, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। प्रथम दृष्टया, सूचना देकर बरामदगी कुल्हाड़ी की वैधता भी सिद्ध नहीं है। कुल्हाड़ी पर पाए गए रक्त के संबंध में प्रयोगशाला विशेषज्ञ (सेरोलॉजिस्ट) का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि वह रक्त मानव रक्त था।

दूसरी ओर, श्री जी.के. बेरीवाल, उपमहाधिवक्ता एवं श्री आलोक बक्शी, शासकीय अधिवक्ता ने विचारण न्यायलय के निर्णय का समर्थन किया।

यह स्वीकार्य स्थिति है कि संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, क्योंकि किसी भी प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध

करने हेतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** [(1994) 2 SCC 220] में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, वे सभी परिस्थितियाँ जिनके आधार पर अपराध का निष्कर्ष निकला जाता है, न केवल पूरी तरह सिद्ध होनी चाहिए, बल्कि ऐसी निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए जो केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि के एकमात्र परिकल्पना के साथ संगत हों। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसे अभियुक्त की निर्दोषता के अन्य किसी परिकल्पना से समझाया जा सके। साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि उसमें अभियुक्त की निर्दोषता से संबंधित कोई भी युक्तिसंगत संदेह की संभावना शेष न रहे। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि विधिक रूप से सिद्ध परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं न्यायलय का मात्र आक्रोश नहीं। और अपराध जितना गंभीर हो, साक्ष्य की जांच उतनी ही सतर्कता से की जानी चाहिए, ताकि संदेह साक्ष्य का स्थान न ले ले।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण अब हम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की जांच करते हैं। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिससे अभियुक्त को तीन हत्याओं से जोड़ा जा सके:

(क) अभियुक्त को मृतकों के साथ अंतिम बार जीवित देखा गया था जब वे जीवित थे|

(ख) अभियुक्त, अपराध घटित होने के पश्चात बालमुकुंद के घर से फरार पाया गया।

(ग) हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी की बरामदगी अभियुक्त की धारा 27, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई सूचना पर हुई।

जहाँ तक अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत का प्रश्न है, यह विधिक स्थिति पूर्णतः स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय ने **बोधराज उर्फ बोधा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य** [2002 (8) SCC 45] के प्रकरण में यह निर्णय दिया कि:

"अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है, जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ देखा जाना और मृतक मृत पाया जाता है तो यह सम्भावना इतनी कम होती है, की आरोपी के आलावा किसी और व्यक्ति द्वारा अपराध को अंजाम देने की सम्भावना असंभव हो जाती है| ऐसे मामलो में दोष के निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा जहा यह निष्कर्ष निकले के लिए कोई अन्य सकारात्मक सबूत न हो की आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था "

इसी प्रकार **सुभाष चंद बनाम राजस्थान राज्य** [2002 (1) SCC 702] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

"अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य तभी मान्य होगा जब यह निश्चित रूप से अनुमानित किया जा सके कि अभियुक्त और मृतक को साथ में उस समय देखा गया जो अपराध की तिथि और समय के निकट हो।"

फिर, **कर्नाटक राज्य बनाम एम.वी. महेश** [2003 (3) SCC 353] में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया:

"केवल अंतिम बार साथ देखा जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि वह यह दर्शाने के लिए निश्चित साक्ष्य है कि बीना कि हत्या की गयी थी , जिसके बारे में प्रतिवादी को पता था या पता होना चाहिए था और उस घटना का समय भी अंतिम बार साथ देखे जाने के समय के समीप हो।"

अतः, सर्वोच्च न्यायलय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार, यदि केवल अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना हो, तो न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित एक साथ देखे जाने और मृत्यु के मध्य समयांतराल अत्यंत न्यून और निकटवर्ती हो। कि अभियुक्त के अपराध के बारे में सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सके और अंतिम बार एक साथ देखे जाने और मृतक कि मृत्यु के बीच किसी तीसरे व्यक्ति के आने की कोई सम्भावना न हो। ऐसे ठोस कानूनी सबूत होने चाहिए जो केवल अभियुक्त की संलिप्तता की ओर ही इशारा करें। इसके अभाव में, केवल अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होता, जब तक अन्य परिस्थितियाँ भी इस ओर संकेत न करती हों कि अभियुक्त ही अपराध का सूत्रधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण इस दृष्टि से करें तो गवाह डेरंग, जिसके घर मृतक, अभियुक्त, उनके पुत्र तथा एक अन्य व्यक्ति उपचार हेतु आए थे, उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि बालमुकुंद, उसकी पत्नी फूलबसो बाई, अभियुक्त अमर साई, उसका पुत्र और एक अन्य व्यक्ति उसके घर आए और धार्मिक भजन सुनाने का अनुरोध किया। भजन सुनने के पश्चात, अमर साई, बालमुकुंद, उसकी पत्नी फूलबसो बाई एवं खमर वापस अपने घर चले गए। गवाह खमर का साक्ष्य भी इसी प्रकार का है कि वह भी उस समय वहां मृतक व्यक्तियों के साथ उपस्थित था। पैरा 6 की प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि वह, मृतक बालमुकुंद, अनादि तथा अमर साई का बड़ा बेटा घर वापस गए और बालमुकुंद अपने घर चला गया उसके बाद जब उन्हें कोटवार ने सूचित किया तो वे घटनास्थल पर गए लेकिन उसने यह कहीं नहीं कहा कि अमर साई भी साथ था। गवाह चंदा ने कहा कि वह डेरंग के घर गया था क्योंकि वह अस्वस्थ था, और डेरंग के घर पर नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था।

अगले दिन सुबह उसे ज्ञात हुआ कि टोंगीपारा में कुछ हत्याएँ हुई हैं। घटना के समय डेरंग के घर बालमुकुंद, बसंत और वह स्वयं उपस्थित थे। अभियुक्त अमर साई भी वहाँ आया था और उसके चाचा ने कहा कि वह अमर साई के उपचार के लिए वहाँ आए हैं। अन्य गवाह बालमुकुंद ने कहा कि उसकी पत्नी अस्वस्थ थी, इसलिए वे डेरंग के घर गए जहाँ नृत्य एवं संगीत का आयोजन था। वहाँ से वे अपने घर लौटे, और अगले दिन उन्हें पता चला कि बालमुकुंद, फूलबासो बाई एवं रतन की हत्या हो गई है। उसे यह जानकारी नहीं थी कि अमर साई वहाँ था या नहीं।गवाह बोखाराम ने कहा कि अभियुक्त अमर साई दो दिन से अपने चाचा बालमुकुंद के साथ रह रहा था, और घटना वाले दिन की सुबह से ही फरार था, जिस दिन तीन लोगों की हत्या हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धांत को इस प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए लागू किया जाए, तो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह तो स्पष्ट होता है कि घटना की पूर्व संध्या यानी 19 जनवरी 1992 की संध्या को अभियुक्त और मृतक गण डेरंग के घर गए थे और वहाँ नृत्य देखने एवं भजन सुनने के बाद लौट गए थे। किन्तु ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त, मृतकों के साथ बालमुकुंद के घर गया था। अभिलेख के अनुसार, डेरंग और बालमुकुंद के घर के बीच की दूरी लगभग 1 ½ किलोमीटर है जहाँ शव पाए गए थे। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसी ने भी अभियुक्त को मृतकों के घर जाते समय या उस घर में जहाँ हत्याएँ की गयी थी या आस पास के इलाके में घटना वाली रात में मृतक व्यक्तियों के साथ देखा था|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह सत्य है की, उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर, जब यह सिद्ध नहीं होता कि अभियुक्त मृतकों के साथ बालमुकुंद के घर वापस आते जाते देखा, रास्ते में देखा और न ही यह की अभियुक्त को उस दुर्भाग्य पूर्ण रात में घर में या आसपास के क्षेत्र में देखा गया था, केवल अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अभियुक्त ने ही जघन्य हत्याओं का सूत्रधार है, अभियुक्त को हत्याओं से जोड़ने के लिए, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत जैसा कि सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार, अभियुक्त और मृतकों के अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने और उनकी मृत्यु के बीच का समय इतना निकट और समीपस्थ होना चाहिए कि तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता की कोई संभावना न रहे और अभियुक्त की दोषसिद्धि का ठोस अनुमान निकाला जा सके। हमारे विचार में, केवल इस आधार पर कि अभियुक्त पिछले 2–3 दिनों से बालमुकुंद के साथ रह रहा था और दुर्भाग्यपूर्ण शाम को डेरंग के घर मृतकों के साथ मौजूद था, जो घटनास्थल से 1 ½ किलोमीटर दूर था, अभियुक्त को हत्याओं से जोड़ना उचित नहीं है, जब तक कि ऐसे निर्णायक और वैधानिक साक्ष्य न हों जो उसकी संलिप्तता की और इशारा करे|

यह बात सत्य है कि घटना वाले दिन सुबह से अभियुक्त बालमुकुंद के घर से लापता था जहाँ अपराध हुआ है किन्तु केवल इसी आधार पर, जब प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखा जाए, अभियुक्त को इस जघन्य अपराध से जोड़ना उचित नहीं है। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त मृतक व्यक्तियों के साथ देरंग के घर से निकलने के बाद बालमुकुंद के घर गया था। केवल घटनास्थल से अभियुक्त की अनुपस्थिति के आधार पर अपराध में उसकी संलिप्तता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता कि उसने अपराध किया। अभियुक्त को 24 जनवरी 1992 को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया था| अतः यह संभावना नकारा नहीं जा सकता कि अभियुक्त डेरंग में उपचार के पश्चात अपने घर चला गया हो।

अखिलेश हजाम बनाम बिहार राज्य प्रकाशित [1995 SCC (Cri) 883] के मामले में अपीलकर्ता अखिलेश हजाम पर अपनी ही माँ बहन पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया था, वह हत्याकारित करने के बाद अपने घर से फरार हो गया था और साक्ष्य यह था की वह घर पर मौजूद नहीं था और उसे तुम्बा गांव की और जाते हुए देखे गया था| जो कि गांव देहलाबाद से एक मील दूर था जहाँ घटना घटित हुआ था| सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार की स्थिति में यह माना कि केवल साक्ष्यों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अभियुक्त घर पर नहीं मिला, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपराध के बाद फरारी की योजना बनाई थी। क्योंकि अभियुक्त उसी गांव में पाया गया था जहाँ घटना हुई थी और साक्षियों में से किसी ने उसे घर पर ही पकड़कर रखा था|

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसी प्रकार, वर्तमान प्रकरण में भी, अभियुक्त को 24.01.1992 को उसके गांव से ही गिरफ्तार किया गया। यदि अपराधी अपराध करित करने के बाद उसकी कोई फरार होने की मंशा होती, तो वह आसानी से अपने गांव से गायब होकर फरार रह सकता था, या अपने घर पर नहीं रहना चाहिए था। अतः बालमुकुंद के घर से उसकी अनुपस्थिति को ऐसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता जिससे उसे इस प्रश्नगत अपराध से जोड़ा जा सके। क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं है| जिससे यह सिद्ध हो कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में मृतक को बालमुकुंद के घर के आसपास देखा गए था और प्रश्नाधीन अपराध करित करने के बाद वह घटना स्थल से फरार हो गया था।

इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त मृतक बालमुकुंद का सगा भतीजा है, जिसे उपचार हेतु मृतक अपने घर लेकर आया था। अभियोजन पक्ष यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि अभियुक्त द्वारा तीनों हत्याएं के पीछे कोई हेतुक भी सिद्ध नहीं कर पाया। यह बात सही है कि प्रत्येक प्रकरण में अभियुक्त के हेतुक का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन जहां मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, वहां हेतुक की महत्वपूर्ण

भूमिका होती है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य** [AIR 1994 SC 2420] के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि है कि हेतुक कभी–कभी अपराध करने की प्रेरक शक्ति बन जाती है और अपराध के पीछे की वास्तविक हेतुक को उजागर करती है। ऐसी स्थिति में अपराध के लिए हेतुक प्रासंगिक तत्व बन जाती है, जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हेतुक वह कारण होती है जो व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने या किसी वैध कार्य को कार्य को करने के लिए एक राय बनाने या हेतुक बनाने के लिए प्रेरित करता है| यदि किसी मामले में अपराध करने की स्पष्ट हेतुक सिद्ध हो जाती है, तो वह न्यायालय के इस निष्कर्ष को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है कि अभियुक्त आरोपित अपराध के लिए दोषी था। हालांकि, हेतुक का अभाव अभियुक्त की दोषसिद्धि से संबंधित अन्य साक्ष्यों को अविश्वसनीय नहीं बनाता, क्योंकि अधिकांशतः केवल अपराध का अपराधी होता है जो जनता है कि किन परिस्थितियों ने उसे अपराध करने के लिए एक निश्चित कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहाँ तक अभियुक्त की सूचना पर कुल्हाड़ी की बरामदगी की बात है, तो मान लीजिए कि कुल्हाड़ी अभियुक्त की सूचना पर बरामद की गई, परंतु गांवों में कुल्हाड़ी सामान्य रूप से हर घर में पाई जाती है। यदि अभियुक्त को केवल कुल्हाड़ी की बरामदगी के आधार पर अपराध से जोड़ना हो, तो यह आवश्यक होता कि अभियोजन द्वारा कुल्हाड़ी का सेरोलॉजिस्ट (रक्त विशेषज्ञ) से परीक्षण कराया गया होता और सेरोलॉजिस्ट का परिक्षण पेश करके यह सिद्ध होता कि बरामद कुल्हाड़ी पर जो रक्त पाया गया वह मानव रक्त था, और वह भी मृतकों के रक्त समूह से मेल खाता था। केवल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कुल्हाड़ी रक्त से सनी थी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वह मानव रक्त था या किसी अन्य प्रकार का इसका उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए, सेरोलॉजिकल रिपोर्ट के अभाव में, केवल कुल्हाड़ी की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को बालमुकुंद, फूलबासो बाई और रतन की हत्या से जोड़ना संभव नहीं है।

निष्कर्ष: उपरोक्त सभी चर्चाओं के आधार पर, हमारा विचारित राय है कि इस प्रकरण में अभियुक्त को हत्या से जोड़ने वाला कोई निर्णायक, ठोस, वैधानिक पारिस्थितिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अभियुक्त ही इन तीनों हत्याओं का दोषी है।

उपरोक्त चर्चा में दृष्टिगत, निर्णय के पैरा 2 में उल्लिखित सभी तीन सत्र प्रकरणों में विचारण न्यायलय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अभियुक्त की दोषसिद्धि ऐसे किसी विधिसम्मत निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है, जो उसे बालमुकुंद, फूलबासो बाई एवं रतन की हत्या से जोड़ सके।

परिणामस्वरूप दांडिक अपील क्रमांक 1628/1994, 710/2005 एवं 729/2005 सफल होती हैं और उन्हें स्वीकृत किया जाता है। सभी तीनों सत्र प्रकरणों में अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। यदि अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

सही/–	सही/–
एल. सी. भादू	धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश.	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ANURAG AGRAWAL